


भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बहु कार्य कर्मचारीवृद्ध (एमटीएस) के पद के लिए भर्ती नियमों के मासौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बहु कार्य कर्मचारीवृद्ध (एमटीएस) के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मासौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पण्धारक भर्ती नियमों के मासौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं. 405ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।


(जी.पी. सामंता)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2018)

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (थ्रेणी IV पद) भर्ती नियम, 1973 को जहां तक उनका संबंध दफ्तरी, चपरासी, मुख्य सुरक्षा प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी, चौकीदार, चौकीदार-सह-सफाईकर्मी, अर्दली, सफाईकर्मी, चौकीदार-सह-झाइवाला, झाइवाला/झाइवाली, विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1977 एवं डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम (समूह 'घ'), भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उसका संबंध गेस्टेटनेर ऑपरेटर के पद से है, सिवाए उन बातों के अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम (समूह 'घ'), नई दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, वह कार्य कर्मचारीवृद्ध (एमटीएस), नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण एवं वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारीवृंद (एमटीएस)	चौकीदार (29) सुरक्षा प्रहरी (6) दफतरी (2) गेस्टेटनर ऑपरेटर (1) अर्दली (2) सफाईकर्मी (1) मुख्य सुरक्षा प्रहरी (1) पर्यवेक्षक (10) चौकीदार-सह-सफाईकर्मी (1) चपरासी (15) चौकीदार-सह-झाड़वाला (3) झाड़वाला/झाड़वाली (173) 244* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसूचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदर्शों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणि 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पणि 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु- सीमा अवधारित करने की नियत तारीख वह अंतिम तिथि होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

No.	Name	Age	Sex	Physical Condition		Disease	Treatment
				Height	Weight		
1	John Doe	25	M	5'8"	150 lbs	Normal	None
2	Jane Doe	25	F	5'5"	120 lbs	Normal	None
3	Bob Smith	30	M	5'9"	160 lbs	Normal	None
4	Susan Smith	30	F	5'4"	130 lbs	Normal	None
5	David Johnson	35	M	5'7"	140 lbs	Normal	None
6	Emily Johnson	35	F	5'3"	110 lbs	Normal	None
7	Michael Williams	40	M	5'10"	170 lbs	Normal	None
8	Amy Williams	40	F	5'6"	145 lbs	Normal	None
9	Christopher Brown	45	M	5'11"	180 lbs	Normal	None
10	Sarah Brown	45	F	5'7"	155 lbs	Normal	None
11	Matthew Green	50	M	5'12"	190 lbs	Normal	None
12	Karen Green	50	F	5'8"	165 lbs	Normal	None
13	James White	55	M	5'13"	200 lbs	Normal	None
14	Laura White	55	F	5'9"	175 lbs	Normal	None
15	Robert Black	60	M	5'14"	210 lbs	Normal	None
16	Elizabeth Black	60	F	5'10"	185 lbs	Normal	None
17	Stephen Grey	65	M	5'15"	220 lbs	Normal	None
18	Michelle Grey	65	F	5'11"	195 lbs	Normal	None
19	Christopher Green	70	M	5'16"	230 lbs	Normal	None
20	Karen Grey	70	F	5'12"	205 lbs	Normal	None

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्युलेशन। टिप्पण-1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली 2. उपनिदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उपनिदेशक	- अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य

[ए.11018/07/2014-एमएच II]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव (अस्पताल)

the first time in the history of the world, the people of the United States have been compelled to go to war with their own government.

The cause of the rebellion is the same as that of all other rebellions - the desire of power and wealth.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.

The rebellion is a direct attack upon the principles of justice and equality which have been established by the Constitution of the United States.